प्रशा./ई जी-1(xii)/कल्य.सहा./2023 से आगे/23-24/3213-14

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश, शिमला171003 -

दिनांकः 14-11-2023

सेवा में,

सभी विभागाध्यक्ष, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग।

विषय: कल्याण सहायक के एक रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्रीय सिविल (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के **वेतन स्तर 8 में कल्याण सहायक के एक (01) पूर्व-कैडर पद** के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. आपसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय के योग्य और इच्छुक कर्मचारियों के नाम इस पद के लिए प्रायोजित करें, जो सतर्कता की दृष्टि से स्पष्ट हों और इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए चयन होने पर तुरंत अपने कर्तव्यों से मुक्त किये जा सकें। उक्त पद के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या

(ii) वरिष्ठ लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक और सहायक पर्यवेक्षक (लेखा)/सहायक पर्यवेक्षक (लेखा परीक्षा) के ग्रेड में तीन साल की संयुक्त नियमित सेवा; और

(ख) कल्याण या सामुदायिक गतिविधियों, हाउसकीपिंग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों, व्यक्तिगत दावों के निपटान सहित व्यक्तिगत प्रशासन के क्षेत्र में तीन साल का अनुभव हो।

3. चयनित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति शर्तों को मौजूदा नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। चयनित कर्मचारी प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता या वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकेंगे। प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता निम्नानुसार देय होगा:

(i) प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता एक ही स्टेशन के भीतर प्रतिनियुक्ति के मामले में मूल वेतन के 5% की दर से देय होगा, जो अधिकतम 4,500/- रुपये प्रति माह होगा;

(ii) अन्य मामलों में, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता मूल वेतन के 10% की दर से देय होगा, जो अधिकतम 9,000/- रुपये प्रति माह होगा।

4. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की **अंतिम तिथि को 56 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

5. प्रतिनियुक्ति की **अवधि प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी** और उसके बाद उसकी निरंतर उपयुक्तता और प्रशासनिक सुविधा के अधीन अधिकतम 05 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

6. सामान्य नियम एवं शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के आवेदन उनके संबंधित मूल कार्यालय (कार्यालयों) के माध्यम से अग्रेषित किए जाएं।

7. सेवा विवरण, बायोडाटा (दो प्रतियों में), इच्छुक और पात्र अधिकारियों के पिछले पांच वर्षों के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां अनुशासनात्मक/सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ कृपया **08.12.2023 तक** अधोहस्ताक्षरी को भेजे जा सकते हैं।

Applications are invited for one (01) ex-cadre post of **Welfare Assistant** in the **pay Level 8** of Central Civil (Revised Pay) rules, 2016 in the office of the **Principal Accountant General (A&E) Himachal Pradesh, Shimla** on deputation basis.

2. You are requested to sponsor the names of eligible and wiling officials of your office, who are clear from vigilance angle and can be relieved of their duties immediately upon their selection for deputation to this office. Eligibility criteria for the said post is as under-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) combined regular service of three years in the grade of Senior Accountants/ Senior Auditors and Assistant Supervisor (Accounts) /Assistant Supervisor (Audit); and

(b) possessing three years' experience in the field of welfare or community activities, housekeeping, sports and cultural activities, personal administrations including settlement of personal claims.

3. The deputation terms of selected officials will be regulated in accordance with the extant rules. Selected official may opt for deputation (duty) allowance or pay fixation. Deputation (duty) allowance will be payable as under:

(i) The Deputation (duty) allowance will be payable at the rate of 5% of the basic pay subject to maximum of Rs.4,500/- per month in case of deputation within the same station;

(ii) In other cases, the Deputation (duty) allowance will be payable at the rate of 10% of the basic pay subject to maximum of Rs.9,000/-per month.

4. Maximum age limit for appointment by deputation **shall not exceed 56 years** as on closing date of receipt of applications.

5. The term of deputation will be **initially for a period of one year** and may be extended upto maximum 05 years thereafter, subject to his/her continued suitability and administrative convenience.

6. The applications of the officers/Officials working in the office on deputation basis on normal terms & conditions shall be forwarded through their respective Parent Office(s).

7. The service particulars, bio-data (in duplicate), attested copies of Annual performance Appraisal Report for the last five years of willing and eligible officials along with Disciplinary/Vigilance clearance certificate may kindly be sent to the undersigned **latest by 08.12.2023.**

यह पत्र प्रधान महालेखाकार महोदय के अनुमोदन उपरांत जारी किया गया है।

संलग्न: बायो डाटा फॉर्म।

भवदीय,

Signed by Ravi Kumar Verma
Date: 22-11-2023 14:33:46
Reason: Approved

उप महालेखाकार (अ.प.)

I/443662/2023

डाटा मेनेजर (स्थानीय) को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वे इस पत्र को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।

-हस्ता-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशा.)